

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 204] No. 204] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1939 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1939

#### वित्त मंत्रालय

#### (आर्थिक कार्य विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

सा.का.िन. 321(अ).—केंद्रीय सरकार, राजिवत्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (2003 का 39) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजिवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) नियम 2018 है।
  - (2). ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम 2004 में,
- (i) नियम 2 में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे
  - (ग) " प्रारंभिक घाटा" से राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान अभिप्रेत है;
  - (ग क) " राजस्व घाटा" से अभिप्रेत है जहां राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर है।
- (ii) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात:-
- "3. केंद्रीय सरकार राजकोषीय घाटे में वित्त वर्ष 2018-19 से आरंभ करके प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.1 प्रतिशत या इससे अधिक के समतुल्य राशि की कमी लाएगी ताकि 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को कम करके इस स्तर पर लाया जा सके जो जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक न हो";

- (iii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात
- "4. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति सह राजकोषीय नीति युक्ति कथन, वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण-

केंद्रीय सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी,-

- (क) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति और राजकोषीय नीति युक्ति कथन और वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण के साथ क्रमश: प्ररूप च-1 और च-2 में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग, और
- (ख) मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा विवरण प्ररूप च-3 में";
- (iv) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात:-
- "5. राजवित्तीय संकेतक-मध्यकालिक राजकोषीय नीति और राजकोषीय नीति युक्ति विवरण में निम्नलिखित राजवित्तीय संकेतकों के संबंध में तीन वर्ष के चल लक्ष्य ऐसे होंगे, जो प्ररूप च-1 में दिए गए हैं, अर्थात:-
  - (i) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजवित्तीय घाटा;
  - (ii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा;
  - (iii) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रारंभिक घाटा;
  - (iv) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व;
  - (v) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में गैर-कर राजस्व;
  - (vi) सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय सरकार के ऋण;
- (v) नियम 6 में, उप-नियम (1), में खंड (इ.) का लोप किया जाएगा;
- (vi) नियम 7 में,-
  - (क) शब्दों के स्थान पर "तिमाही समीक्षा" शब्द "छमाही समीक्षा" रखे जाएंगे।
  - (ख) शब्दों "दूसरी तिमाही" के स्थान पर जहां-जहां वह आते हैं वहां शब्द "पहली छमाही" रखे जाएंगे;
- (vii) नियम 8, में उपनियम (2) में, शब्द "मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण" के स्थान पर शब्द "मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय युक्ति नीति विवरण" रखे जाएंगे,
  - (viii) प्ररूप च-1, च-2, च-3, और च-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे अर्थात:-

#### प्ररूप च-1

# (नियम 4 देखिए)

# मध्यम कालिक राजवित्तीय और राजवित्तीय नीति युक्ति कथन

#### राजवित्तीय संकेतक चल लक्ष्य

चालू वर्ष	आगामी वर्ष का	अगले दो वर्ष के लिए
पुनरीक्षित	लक्ष्य: बजट का	लक्ष्य
प्राक्कलन	प्राक्कलन	

	वर्ष-1	वर्ष	वर्ष +1	वर्ष+2
1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा				
2. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा				
3. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा				
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व				
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व				
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय सरकार के ऋण				

# क. राजवित्तीय संकेतकों में निहित पूर्वधारणा:

- 1. राजस्व प्राप्तियां-
  - (क) कर राजस्व-क्षेत्रीय और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि करें
  - (ख) गैर-कर राजस्व-नीतिगत स्थिति
  - (ग) राज्यों को अवमूल्यन—वित्त आयोग
- 2. पूंजी प्राप्तियां—ऋण स्टॉक, प्रतिसंदाय, नए ऋण और नीतिगत स्थिति
  - (क) ऋण की वसूली
  - (ख) अन्य प्राप्तियां
  - (ग) उधार—लोक ऋण और अन्य दायित्व
- 3. कुल व्यय—नीतिगत स्थिति
  - (क) राजस्व लेखा
    - (i) ब्याज के संदाय
    - (ii) मुख्य सहायकी
    - (iii) अन्य
  - (ख) पूंजी लेखा
    - (i) उधार और अग्रिम
    - (ii) पूंजी परिव्यय
- 4. सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

# ग. निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण-

- (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन- विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चातवर्ती दो वर्ष के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इसमें कर भिन्न राजस्व और उससे संबद्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा। राजस्व प्राप्तियां जिसके अंतर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा। विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रक्षेपण भी दिया जा सकेगा और संकेतकों में निहित धारणाओं के आधार पर उसका उल्लेख किया जाएगा। राजस्व लेखा पर व्यय भी संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर किया जा सकेगा।
- (ii) पूंजी प्राप्तियों का उपयोग जिसके अंतर्गत उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए बाजार उधार सम्मिलित है: मध्यम कालिक नीति विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए पूंजी प्राप्तियों का प्रस्तावित उपयोग विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इसके इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकेगा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार का संपूर्ण नीति के निबंधनों में उल्लेख भी किया जा सकेगा।

## (घ) राजवित्तीय नीति युक्ति का विहंगावलोकन-

इस पैरा में वर्तमान राजकोषीय नीति युक्ति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा।

### ड. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य वित्तीय नीति-

इस पैरा में निम्नलिखित से संबंधित उप-पैरा होंगे-

(1) कर नीति:

कर नीति से संबंधित उप-पैरा में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में पुर:स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख किया जाएगा। इसमें आयकर छूट सीमा और प्रति व्यक्ति आय से कितना संबंध है, कर छूट विषयक सिद्धांत और छूट के लिए लक्ष्य समूह का निर्धारण होगा।

(2) व्यय नीति:

व्यय नीति के अधीन व्यय के आवंटन में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन उपदर्शित किए जाएंगे। इसमें हितधारियों के फायदे और लक्ष्य समूह विषयक सिद्धांतों का निर्धारण भी होगा।

(3) सरकार के उधार, उधार देना और विनिधान:

सरकार के उधारों से संबंधित इस उप पैरा में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, सरकार के उधार देने, विनिधान और अन्य क्रियाकलाप; जिसके अंतर्गत औसत परिपक्वता संरचना, प्रतिसंदायों के समूह आदि से संबंधित नीति उपदर्शित की जाएगी।

(4) आकस्मिक और अन्य दायित्व:

आकस्मिक और अन्य दायित्वों और विशिष्टतया ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें संभाव्य बजट विविक्षाएं हों, पर नीति में कोई परिवर्तन उपदर्शित किया जाएगा।

(5) प्रशासित माल की कीमत निर्धारण-

प्रशासित उत्पाद के मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत बाजार आधारित सिद्धांतों के लेखे वृद्धि भी हैं, में प्रस्तावित किसी परिवर्तन का उल्लेख किया जाएगा।

# च. आगामी वर्ष के लिए योक्तिक पूर्विकताएं

- (1) कर, गैर कर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसाधन गतिशीलता का उल्लेख किया जाएगा।
- (2) आगामी वर्ष के दौरान प्रबंध में निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जाएगा।
- (3) आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित लोक ऋण के प्रबंध से संबंधित पूर्विकताएं उपदर्शित की जाएगीं।

## छ: नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्ति संगतता:

- (1) आगामी बजट में प्रस्तावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बाबत मध्यम कालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण से संगत नीतिगत परिवर्तनों के लिए युक्तिसंगतता का उल्लेख किया जाएगा।
- (2). आगामी वर्ष के दौरान व्यय प्रबंध को रेखांकित करने वाले मुख्य नीतिगत सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा।
- (3). लोक ऋण के प्रबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए युक्तिसंगतता उपदर्शित की जाएगी।
- (4). प्रशासित माल के मूल्यांकन की बाबत प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।

# ज. नीति मूल्यांकन:

इस पैरा में आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटे में कटौती, केंद्रीय सरकार का ऋण और विवरण में निर्धारित अन्य उद्देश्यों के संदर्भ में राजकोषीय नीति योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों का विकास समाहित है।

# प्ररूप च-2 (नियम 4 देखिए) बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

# 1. अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकनः

इस पैरा में वृद्धि दर, कीमत, उत्पादन, बाह्य क्षेत्र, धन और पूंजी बाजार में रुझान का संक्षिप्त विश्लेषण होगा। मुख्य बृहत आर्थिक संकेतकों पर सूचना उपाबद्ध फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाएगी।

# सकल घरेलू उत्पाद वृद्धिः

इस पैरा में संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और उसकी क्षेत्रीय संरचना में रुझान का विश्लेषण होगा।

# 3. बाह्य क्षेत्र:

इस पैरा के अधीन निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा और आरक्षितियों, चालू लेखा अतिशेष और संदायों के अतिशेष में रुझान का उल्लेख किया जाएगा।

# 4. धन, बैंककारी और पूंजी बाजार:

इस पैरा में धन पूर्ति, बैंक ने निक्षेप और जमा और पूंजी बाजार के विकास में रुझान का लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।

# 5. केंद्रीय सरकार वित्त पोषण:

इस पैरा के अधीन राजस्व संग्रहण और व्यय में रुझान का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। महत्वपूर्ण राजवित्तीय घाटा और ऋण संकेतकों में रुझान का भी उल्लेख किया जाएगा। केंद्रीय सरकार वित्त पोषण में रुझान को संलग्न फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

## 6. संभावनाएं-

पूर्ववर्ती धाराओं में प्रस्तुत मुख्य क्षेत्रों में रुझान पर आधारित अंतर्निहित धारणाओं के साथ-साथ वृद्धि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

# आर्थिक अनुपालन एक दृष्टि में

		पूर्ण म्	्रल्य	परिवर्तनों का प्रतिशत			
		अप्रैल—रिपो अर्वा		अप्रैल—रिपोर्ट करने की अर्वा			
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष		
	स्थावर सेक्टर						
1	सकल घरेलू उत्पाद						
(क)	चालू कीमत पर						
(ख)	वर्ष 2011-12¹ की कीमत पर						
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक						
3	थोक मूल्य सूचकांक (अंक दर अंक)						
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक						
5	धन पूर्ति (एएम 3)						
6	चालू कीमत पर आयात						
(क)	रुपये करोड़ में						
(ख)	अमेरिकी डॉलर दस लाख में						
7	चालू कीमत पर निर्यात						
(क)	रुपए करोड़ में						
(ख)	अमेरिकी डॉलर दस लाख में						
8	व्यापार अतिशेष						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नवीनतम आधार वर्ष का उपयोग करें

\_

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

9	विदेशी विनिमय आस्तियां		
(क)	रुपए करोड़ में		
(ख)	अमेरिकी डॉलर दस लाख में		
10	चालू खाता अतिशेष		
	सरकारी वित्त पोषण		
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)		
2	कर राजस्व ( शुद्ध)		
3	कर बिना राजस्व		
4	पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)		
5	ऋणों की वसूली		
6	अन्य प्राप्तियां		
7	उधार तथा अन्य दायित्व		
8	कुल प्राप्तियां (1+4)		
9	राजस्व व्यय		
	जिसका:		
10	ब्याज संदाय		
11	पूंजी व्यय		
12	कुल व्यय (9 +11)		
13	राजवित्तीय घाटा (12-(1+5+6)		
14	राजस्व घाटा ((9-1)		
15	बुनियादी घाटा (13-10)		

<sup>\*</sup> आंकड़े उस अवधि से संबंधित होंगे जिस अवधि तक चालू वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध है। तुलना को सुकर बनाने के लिए चालू वर्ष के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष की उसी अवधि के आंकड़ों के अनुरूप हैं। तदनुसार विभिन्न मदों के लिए रिपोर्ट करने की अवधि भी भिन्न हो सकेगी।

# प्ररूप च-3

# (नियम 4 देखें)

# मध्यम-कालिक व्यय रूपरेखा

# क. मध्यम कालिक व्यय अनुमान (प्रमुख श्रेणी वार)

(राशि: करोड़ रुपये)

	पिछले वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन	चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन	आगामी दो व	वर्ष के लिए लक्ष्य
	वर्ष-1	वर्ष	वर्ष+1	वर्ष +2
राजस्व व्यय				
1. वेतन				
2. ब्याज				
3. पेंशन				
4. आर्थिक सहायता				
क. खाद्य				
ख. उर्वरक				
ग. पेट्रोलियम				
5. राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए केंद्रीकृत उपबंध				
6. रक्षा				
7. डाक संबंधी घाटा				
8. विदेशी मामले				
9. गृह मामले				
10. कर प्रशासन				
11. वित्त				
12. शिक्षा				
13. स्वास्थ्य				
14. समाज कल्याण				
15. कृषि और संबद्ध				

16. वाणिज्य और उद्योग		
17. शहरी विकास		
18. ग्रामीण विकास		
19. पूर्वोत्तर विकास		
20. योजना और सांख्यिकी		
21. वैज्ञानिक विभाग		
22. ক্রর্গা		
23. परिवहन		
24. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार		
25. संघ और राज्य क्षेत्र		
26. अन्य		
कुल-राजस्व व्यय		

	पिछले वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन	चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन	आगामी दो वर्ष के लिए लक्ष्य		
	वर्ष -1	वर्ष	वर्ष +1	वर्ष +2	
पूंजी व्यय					
1. रक्षा					
2. गृह					
3. वित्त					
4. स्वास्थ्य					
5. वाणिज्य और उद्योग					
6. शहरी विकास					
7. योजना और सांख्यिकी					

8.	वैज्ञानिक विभाग		
9.	ऊर्जा		
10	. परिवहन		
11	. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार		
12	. राज्यों को ऋण		
13	. संघ राज्य-क्षेत्र		
14	. अन्य		
कुल-	पूंजीगत व्यय		
कुल व	त्र्यय		

# ख. मध्यम कालिक व्यय लक्ष्य को रेखांकित करने वाली अवधारणाएं

- 1. राजस्व व्यय
- (क) वेतन
- (ख) पेंशन
- (ग) ब्याज संदाय
- (घ) आर्थिक सहायता
- (इ.) रक्षा
- (च) अन्य राजस्व व्यय और रेखाकिंत व्यय प्राथमिकताएं
- 2. पूंजीगत व्यय
- (क) रक्षा
- (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग
- (ग) रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय सहायता
- (घ) अन्य पूंजी व्यय और रेखाकिंत व्यय प्राथमिकताएं

# ग. मध्यम कालिक व्यय पूर्वानुमान (निवल आधार पर मांग-वार)

(आंकड़े करोड़ में)

					•	
मांग सं.	मांग का नाम	पिछले वर्ष के	चालू वर्ष के	आगामी दो वर्षों के लिए		
		संशोधित	संशोधित	पूर्वानुमान		
		अनुमान	अनुमान		I	
		वर्ष -1	वर्ष	वर्ष +1	वर्ष +2	
1.	स्कीम का नाम कुल					
	राजस्व पूंजी					

# घ. चयनित स्कीमों के लिए मध्यम कालिक व्यय पूर्वानुमान (निवल आधार पर मांग-वार)

1. राजस्व अनुभाग:

(आंकड़े करोड़ में)

मांग	स्कीम का नाम	पिछले वर्ष के	चालू वर्ष के	आगामी दो वर्ष के लिए			
सं./मांग		पुनरीक्षित	बजट का	पूर्वानुमान			
		प्राक्कलन	प्राक्कलन				
		वर्ष -1	वर्ष	वर्ष +1 वर्ष +2			

2. पूंजी अनुभाग

(आंकड़े करोड़ में)

मांग	स्कीम का नाम	पिछले वर्ष के	चालू वर्ष के	आगामी दो वर्ष के लिए			
सं./मांग		पुनरीक्षित	बजट का	पूर्वानुमान			
		प्राक्कलन	प्राक्कलन				
		वर्ष -1	वर्ष	वर्ष +1	वर्ष +2		

(ix) प्ररूप घ-1, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप घ-1

(नियम 6 देखें)

राजस्व कर किंतु वसूला नहीं गया

(मुख्य कर)

(रिपोर्टगत वर्ष की समाप्ति के अनुसार)

विवाद के अधीन रकम							विवा	इ रहित र	कम			
										(	रुपये क	रोड़ में)
मुख्य शीर्ष	वर्णन	1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	कुल योग
	आय और व्यय पर											
	कर											

	l <b>c</b>		l	1	l	l		l !
	निगम कर							
0020								
	निगम कर से भिन्न							
	आय पर कर							
0021								
	वस्तुओं और							
	   सेवाओं पर कर							
	केंद्रीय माल और							
	सेवा कर							
	(सीजीएसटी)							
0005								
	समेकित माल और							
	सेवा कर							
	(आईजीएसटी)							
0008								
0037	सीमा शुल्क							
	संघ उत्पाद- शुल्क							
0038								
0044	सेवा कर							
	योग	 					 	

टिप्पण: रिपोर्ट गत वर्ष इस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा।

(x) प्ररूप घ-3, घ-4, घ-5 के लिए निम्नांकित प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

# प्ररूप घ-3 (नियम 6 देखें)

# सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

			**		
वर्ग (कोष्ठक के	वर्ष के दौरान	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के प्रारंभ	वर्ष के दौरान	गारंटी
भीतर	प्रत्याभूति की	बकाया (रु.	में बकाया (रु.	विलोपन ( मांगी	तब तक
प्रत्याभूतियों की	अधिकतम रकम	करोड़ में)	करोड़ में)	गई से भिन्न) (रु.	विधिमान्य
संख्या)	(रु. करोड़ में)			करोड़ में)	1 11 3 11 1
				(* < (,3 * ()	
1	2	3	4	5	6
	1			l	

वर्ष के दौरान म (रु. करोड़ में)		वर्ष की समाप्ति पर बकाया (रु. करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपए करोड़ में)		अन्य तात्विक ब्यौरे
उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त की गई	
7	8	9	10 11		12

टिप्पण- उपर्युक्त तालिका में वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, 2 वर्ष पीछे का वर्ष होगा।

# प्ररूप घ-4 (नियम 6 देखें) आस्ति रजिस्टर

	रिपोर्टगत वर्ष के प्रारंभ में आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां	रिपोर्टगत वर्ष के अंत में आस्तियों का संचयी योग
	लागत (रु. करोड़ में)	लागत (रु. करोड़ में)	लागत (रु. करोड़ में)
वास्तविक आस्तियां			
भूमि (भूमि का क्षेत्र)			
भवन			
कार्यालय			
रिहायशी			
सड़क			
पुल			
सिंचाई परियोजनाएं			
शक्ति परियोजनाएं			
अन्य पूंजी परियोजनाएं			
मशीनरी और उपस्कर			
कार्यालय			
उपस्कर			
वाहन			
योग			

वित्तीय आस्तियां		
साम्या विनिधान		
शेयर		
बोनस शेयर		
उधार और अग्रिम		
राज्य सरकारों को उधार		
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उधार		
विदेशी सरकारों को उधार		
कंपनियों को उधार		
अन्य को उधार		
अन्य वित्तीय विनिधान		
कुल		

टिप्पण:

- 1. केवल दो लाख रुपये के प्रारंभिक मूल्य से अधिक की आस्तियां लेखबद्ध की जाएं।
- 2. प्रकटन कथन में मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा विभाग की आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।
- 3. रिपोर्टिंग वर्ष, पिछले दूसरे वर्ष की ओर संकेत करता है जिसकी वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान के लिए मांग प्रस्तुत की जानी है।
- 4. वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र, प्रत्येक स्तंभ के बैरेक्ट में भूमि की कम कीमत का उल्लेख किया जाएगा यदि भूमि का क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, यह दिया जाएगा। तथापि, उसकी लक्ष्य तारीख विवरण के पादटिप्पण में इंगित की जाएगी।

# प्ररूप घ-5

# (नियम 6 देखें)

## वार्षिकी परियोजनाओं की देयता

मंत्रालय /विभाग	परियोजना	परियोजना	कुल	अवधि	वार्षिकी	वित्तीय वर्ष की
	का नाम	की लागत	वार्षिकी		भुगतान	समाप्ति पर वार्षिकी
			प्रतिबद्ध		(प्रतिवर्ष)	देयता की असंदत्त
					,	राशि

	(करोड़ रुपये)	(करोड़ रुपये)	(वर्ष)	(करोड़ रुपये)	

**टिप्प्ण** : असंदत्त वार्षिकी के स्तंभ में उल्लिखित वित्तीय वर्ष उस वर्ष का संकेत करता है जिसका वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा'।

(xi) प्ररूप घ-6 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 3/18/2018-एफआरबीएम]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्या 396 (अ), तारीख, 2 जुलाई, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 2 जुलाई, 2004 में प्रमाणित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

- 1. सा.का.नि. 41(अ), तारीख 23 जनवरी, 2007;
- 2. सा.का.नि. 670(अ), तारीख 5 सितंबर, 2012;
- 3. सा.का.नि. 290(अ), तारीख 7 मई, 2013;
- 4. सा.का.नि. 523(अ), तारीख 25 जून, 2015; और
- 5. सा.का.नि. 829(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2015।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Economic Affairs)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd April, 2018

- **G.S.R. 321(E).**—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (39 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004,
- (i) in rule 2, for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
- '(c) "primary deficit" means the fiscal deficit minus the interest payments;
- (ca) "revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and revenue receipts;"
- (ii) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
- "3. The Central Government shall reduce the fiscal deficit by an amount equivalent to 0.1 per cent or more of the gross domestic product (GDP) at the end of each financial year beginning with the financial year 2018-19, so that fiscal deficit is brought down to not more than 3 per cent of the GDP by 31<sup>st</sup> day of March, 2021.";
- (iii) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-
- "4. Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement, Macro-economic Framework Statement and Medium-term Expenditure Framework Statement.-

The Central Government shall lay before each House of Parliament,-

- (a) The Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and the Macro-economic Framework Statement along with the annual financial statement and demand for grants in forms F-1 and F-2, respectively, and
- (b) the Medium-term Expenditure Framework Statement in form F-3.";
- (iv) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-
- **"5. Fiscal Indicators.** In the Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement, three years rolling targets in respect of the following fiscal indicators shall be as given in Form F-1, namely:-
  - (i) fiscal deficit as a percentage of GDP;
  - (ii) revenue deficit as a percentage of GDP;
  - (iii) primary deficit as a percentage of GDP;
  - (iv) tax revenue as a percentage of GDP;
  - (v) non-tax revenue as a percentage of GDP; and
  - (vi) Central Government debt as a percentage of GDP.";
- (v) in rule 6, in sub-rule (1), clause (e) shall be omitted;
- (vi) in rule 7,-
- (a) for the words "quarterly review", the words "half yearly review" shall be substituted;
- (b) for the words "second quarter" at both places where they occur, the words "first half "shall be substituted;
- (vii) in rule 8, in sub-rule (2), for the words "Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement", the words "Medium-term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement "shall be substituted,
- (viii) for Forms F-1, F-2, F-3 and F-4, the following forms shall be substituted, namely:-

#### "Form F-1

#### [See rule 4]

#### MEDIUM TERM FISCAL POLICY CUM FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

#### A. Fiscal Indicators – Rolling Targets

	Current Year Revised Estimates	Ensuing year Target: Budget Estimates	Targets for the next two years	
	Y-1	Y	Y+1	Y+2
Fiscal Deficit as percentage of GDP				
2. Revenue Deficit as percentage of GDP				
3. Primary Deficit as percentage of GDP				
4. Tax Revenue as percentage of GDP				
5. Non-tax Revenue as percentage of GDP				
6. Central Government debt as percentage of GDP				

#### B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators –

- 1. Revenue receipts:
- (a) Tax-Revenue Sectoral and GDP growth rates
- (b) Non-tax-revenue Policy stance
- (c) Devolution to States Finance Commission
- 2. Capital receipts Debt stock, repayment, fresh loans and policy stance:
- (a) Recovery of loans
- (b) Other receipts
- (c) Borrowings Public Debt and Other Liabilities
- 3. Total expenditure Policy Stance:
  - (a) Revenue account
    - (i) Interest payments
    - (ii) Major subsidies
    - (iii) Others
  - (b) Capital account
    - (i) Loans and advances
    - (ii) Capital outlay
- 4. GDP Growth

#### C. Assessment of sustainability relating to -

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure:

The statement may specify the tax-GDP ratio for the current year and subsequent two years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts may be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets:

The statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government in achieving the national objectives.

#### **D.** Fiscal Policy Strategy Overview:

This paragraph will present an overview of the fiscal policy strategy currently in vogue.

#### E. Fiscal policy strategy for the ensuing financial year:

This paragraph shall have the following sub-paragraphs dealing with –

#### (1) Tax Policy:

In the sub-paragraph on tax policy, major changes proposed to be introduced in direct and indirect taxes in the ensuing financial year will be presented. It shall contain an assessment of income tax exemption limits and how far it relates to per capita income, principles regarding tax exemptions and target group for exemptions.

#### (2) Expenditure Policy:

Under expenditure policy, major changes proposed in the allocation of expenditure shall be indicated. It shall also contain an assessment of principles regarding the benefits and targets group of beneficiaries.

(3) Government Borrowings, Lending and Investments:

In this sub-paragraph on Government borrowings, the policy relating to internal debt, external debt, Government lending, investments and other activities; including principles average maturity structure, bunching of repayments, etc., shall be indicated.

(4) Contingent and other Liabilities:

Any change in the policy on contingent liabilities and in particular guarantees which have potential budgetary implications shall be indicated.

(5) Pricing of Administered Goods:

Any-change proposed in the pricing of administered products, including the progress towards market-based principles shall be spelt out.

#### F. Strategic priorities for ensuing year:

- (1) Resource mobilization for the ensuing financial year through tax, non-tax and other receipts shall be spelt out.
- (2) The broad principles underlying the expenditure management during the ensuing year shall be spelt out.
- (3) Priorities relating to management of public debt proposed during the ensuing year shall be indicated.

#### **G.** Rationale for Policy changes:

- (1) The rationale for policy changes consistent with the Medium Term Fiscal Policy Statement, in respect of direct and indirect taxes proposed in the ensuing Budget shall be spelt out.
- (2) The rationale for major policy changes in respect of budgeted expenditure including expenditure on subsidies shall be indicated.
- (3) Rationale for changes, if any, proposed in the management of the public debt shall be indicated.
- (4) The need for changes, if any, proposed in respect of pricing of administered goods shall be spelt out.

#### H. Policy Evaluation:

This paragraph shall contain an evaluation of the changes proposed in the fiscal policy strategy for the ensuing year with reference to reduction fiscal deficit, Central Government debt and other objectives set out in the statement.

#### Form F-2

#### [See rule 4]

#### MACRO-ECONOMIC FRAMEWORK STATEMENT

#### 1. Overview of the Economy:

This paragraph shall contain a synoptic analysis of trends in growth rates, prices, output, external sector, money and capital markets. Information on key macro-economic indicators will be presented in the format appended.

#### 2. GDP Growth:

This paragraph shall contain an analysis of trends in overall GDP growth and its sectoral composition.

#### 3. External Sector:

Under this paragraph, trends in exports, imports, foreign exchange reserves, current account balance and balance of payments shall be presented.

#### 4. Money, Banking and Capital Markets:

This paragraph shall present and account of the trends in money supply, bank deposits and credit and developments in the capital market.

#### 5. Central Government Finances:

Under this paragraph an analysis of trends in revenue collections and expenditure shall be presented. Trends in important fiscal deficit and debt indicators shall also be presented. Trends in Central Government finances shall be presented in the format appended.

#### 6. Prospects:

Based on the trends in major sectors presented in the previous sections, an assessment shall be made regarding the growth prospects, along with the underlying assumptions.

#### **Economic Performance at a Glance**

		Absolute	e Value	Percentag	ge Changes
		April-Report	April-Reporting period*		rting period*
		Previous year	Current year	Previous year	Current year
	Real Sector				
1	GDP				
(a)	at current price				
(b)	At 2011-12 <sup>1</sup> price				
2	Index of Industrial Production				
3	Wholesale Price Index (point to point)				
4	Consumer Price Index				
5	Money Supply (M3)				
6	Imports at current prices				
(a)	In ₹ crore				
(b)	In US \$ million				
7	Exports at current prices				
(a)	In ₹ crore				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Use the latest base year

(b)	In US \$ million		
8	Trade Balance		
9	Foreign Exchange Assets		
(a)	In ₹ crore		
(b)	In US \$ million		
10	Current Account Balance		
	<b>Government Finances</b>		
1	Revenue Receipts (2+3)		
2	Tax Revenue (Net)		
3	Non-Tax Revenue		
4	Capital receipts (5+6+7)		
5	Recovery of loans		
6	Other Receipts		
7	Borrowing and other liabilities		
8	Total Receipts (1+4)		
9	Revenue Expenditure		
	-of which:		
10	Interest payments		
11	Capital Expenditure		
12	Total Expenditure (9+11)		
13	Fiscal Deficit {12-(1+5+6)}		
14	Revenue Deficit (9-1)		
15	Primary Deficit (13-10)		

<sup>\*</sup>data will relate to the period up to which information for the current year is available. To facilitate comparison, data of previous year corresponds to the same period of current year. Accordingly, reporting period may vary for different items.

## Form F-3

#### [See rule 4]

#### MEDIUM-TERM EXPENDITURE FRAMEWORK

#### A. MEDIUM-TERM EXPENDITURE PROJECTIONS (Major category wise)

(Figures in ₹ crore)

	Previous Year's Revised Estimates	Current Year's Budget Estimates	Projections for next two years	
	Y-1	Y	Y+1 Y+2	
Revenue Expenditure				
1. Salary				
2. Interest				
3. Pension				
4. Subsidies				

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

a. Food		
b. Fertiliser		
c. Petroleum		
5. Centralized provision for		
Grants to States		
6. Defence		
7. Postal Deficit		
8. External Affairs		
9. Home Affairs		
10. Tax Administration		
11. Finance		
12. Education		
13. Health		
14. Social welfare		
15. Agriculture and allied		
16. Commerce and Industry		
17. Urban Development		
18. Rural Development		
19. Development of North East		
20. Planning and Statistics		
21. Scientific Departments		
22. Energy		
23. Transport		
24. IT and Telecom		
25. Union Territories		
26. Others		
Total-Revenue Expenditure		
F		

	Previous Year's Revised Estimates	Current Year's Budget Estimates	Projection	s for next two years
	Y-1	Y	Y+1	Y+2
Capital Expenditure 1. Defence				
2. Home Affairs				
3. Finance				
4. Health				
5. Commerce and Industry				
6. Urban Development				
7. Planning and Statistics				
8. Scientific Departments				
9. Energy				
10. Transport				
11.IT and Telecom				

12. Loans to States		
13. Union Territories		
14. Others		
Total-Capital Expenditure		
Total Expenditure		

#### B. ASSUMPTIONS UNDERLYING THE MEDIUM TERM EXPENDITURE PROJECTIONS

- 1. Revenue Expenditure
- a. Salaries
- b. Pensions
- c. Interest Payments
- d. Subsidies
- e. Defence
- f. Other Revenue Expenditure and the underlying expenditure priorities
- 2. Capital Expenditure
- a. Defence
- b. Road Transport and Highways
- c. Budgetary support for capital expenditure of Railways
- d. Other Capital Expenditure and the underlying expenditure priorities.
- C. MEDIUM-TERM EXPENDITURE PROJECTIONS (Demand wise and on net basis)

(Figures in ₹ crore)

Demand	Demand Name	Previous Year's	Current Year's	Projections for next two years	
No.		Revised	Budget Estimates	•	
		Estimates			
		Y-1	Y	Y+1	Y+2
1.	Demand Name				
	Revenue				
	Capital				
	Total				

#### D. MEDIUM-TERM EXPENDITURE PROJECTIONS FOR SELECT SCHEMES (on net basis)

#### 1. Revenue Section:

(Figures in ₹ crore)

Demand	Scheme Name	Previous Year's	Current Year's	Projections for next two years	
No./Name.		Revised Estimates	Budget Estimates		
		Y-1	Y	Y+1 Y+2	

#### 2. Capital Section:

(Figures in ₹ crore)

Demand	Scheme Name	Previous Year's	Current Year's	Projections for next two years	
No./Name.		Revised Estimates	Budget Estimates		
		Y-1	Y-1 Y Y+		Y+2

(ix) for Form D-1, the following form shall be substituted, namely:-

# "Form D – 1 [See rule 6]

#### TAX REVENUES RAISED BUT NOT REALISED

(principal taxes)

(As at the end of Reporting Year)

			Amount	s under	dispute		An	nounts n	ot under	dispute		
											(₹	in crore)
Major Head	Description	Over 1 Year but less than 2 Years	Over 2 Year but less than 5 Years	Over 5 Year but less than 10 Years	Over 10 Years	Total	Over 1 Year but less than 2 Years	Over 2 Year but less than 5 Years	Over 5 Year but less than 10 Years	Over 10 Years	Total	Grand Total
	Taxes on Income & Expenditu re											
0020	Corporatio n Tax											
0021	Taxes on Income other than Corp. Tax											
	Taxes on Commodit ies & services											
0005	Central Goods and Services Tax (CGST)											
0008	Integrated Goods and Services Tax (IGST)											
0037	Customs											
0038	Union Excise											
0044	Service Tax											
	Total											

**Note:** reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.";

(x) for Forms D-3, D-4 and D-5, the following forms shall be substituted, namely:-

#### "Form D - 3

# [See rule 6]

## **Guarantees given by the Government**

Class (No. of	Maximum	Outstanding at	Additions	Deletions	Guarantees valid
Guarantees	Amount	the beginning of	during the year	(other than	till
within bracket)	Guaranteed	the year	(₹ in crore)	invoked)	
	during the year	(₹ in crore)		during the year	
	(₹ in crore)			(₹ in crore)	
1	2	3	4	5	6

Invoked du	Invoked during the year		Guarantee Commission or Fee		Other Material		
(₹ in	crore)	the end of the	(₹ in crore)		(₹ in crore)		Details
Discharged	Not	year	Receivables Received				
	Discharged	(₹ in crore)					
7	8	9	10	11	12		

Note: The year in the above table refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

# Form D - 4 [See rule 6] ASSET REGISTER

	Assets at the beginning of reporting year	Assets Acquired during the year reporting year	Cumulative total of assets at the end of the reporting year
	Cost (₹ in crore)	Cost (₹ in crore)	Cost (₹ in crore)
Physical assets:			
Land			
(Area of land)			
Building			
Office			
Residential			
Roads			
Bridges			
Irrigation Projects			
Power Projects			
Other Capital Projects			
Machinery & Equipment			
Office Equipment			
Vehicles			
Total			
Financial assets:			
Equity Investment			
Shares			
Bonus Shares			

Loans and Advances		
Loans to State Govts.		
Loans to UT Govts.		
Loans to Foreign Govts.		
Loans to Companies		
Loans to Others		
Other Financial Investment		
Total		

#### Notes:

- 1. Assets above the threshold value of Rupees two lakh only to be recorded.
- 2. This disclosure statement does not include assets of Cabinet Secretariat, central Police Organisations, Ministry of Defence, Department of Space and Atomic Energy.
- 3. Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.
- 4. Area of land in square km shall be mentioned in bracket below cost of land in each column. If, area of the land is not available, it will not be given, however, target date to compile the same will be indicated in footnote to the statement.

# Form D-5 [See rule 6]

#### LAIBILITY ON ANNUITY PROJECTS

Ministry/ Department	Name of Project	Value of the Project	Total Annuity Committed	Term	Annuity Payment (per year)	Amount of unpaid annuity liability at the end of the financial year
		(₹ crore)	(₹ crore)	(years)	(₹ crore)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

**Note:** Financial Year mentioned in the column of unpaid annuity refers to the year for which annual financial statement is being presented";

(xi) Form D-6 shall be omitted.

[F. No. 3/18/2018-FRBM]

PRASHANT GOYAL,Jt .Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 2nd July, 2004 *vide* number G.S.R. 396 (E), dated 2nd July, 2004 and were subsequently amended *vide* the following notifications:

- 1. G.S.R. 41(E), dated the 23rd January, 2007;
- 2. G.S.R. 670(E), dated the 5th September, 2012;
- 3. G.S.R. 290(E), dated the 7th May, 2013;
- 4. G.S.R. 523(E), dated the 25th June, 2015; and
- 5. G.S.R. 829(E), dated the 31st October, 2015.